

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

नाथुलाल पिता भागुता रेगर नि. ईटून्दा
बनाम

गोपाल पुत्र मांगु रेगर नि. ईटून्दा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए.

मुकदमा नं. 772/23


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
05.07.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ईटून्दा प. ह. ईटून्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1129/2 रकबा 0.9389 हेक्टेयर, आ. न. 1240 रकबा 1.0036 हेक्टेयर, आ. न. 1240/1 रकबा 0.0162 हेक्टेयर, कुल किता 03 रकबा 1.9587 हेक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम ईटून्दा प. ह. ईटून्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1129/2 रकबा 0.9389 हेक्टेयर, आ. न. 1240 रकबा 1.0036 हेक्टेयर, आ. न. 1240/1 रकबा 0.0162 हेक्टेयर, कुल किता 03 रकबा 1.9587 हेक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक लुहारीकला को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा) </p>	

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 772/2023 अनवान नाथुलाल पिता भागुता रेगर नि. ईटून्दा बनाम गोपाल पुत्र मांगु रेगर नि. ईटून्दा, फून्दा पुत्र देराम रेगर नि. ईटून्दा, मदन पुत्र देराम रेगर नि. ईटून्दा, मोहन पुत्र देराम रेगर नि. ईटून्दा, शंकर पुत्र देराम रेगर नि. ईटून्दा, श्यामलाल पुत्र माधु रेगर नि. ईटून्दा, सोसर देवी पत्नी देराम रेगर नि. ईटून्दा, हरदेव पुत्र देराम रेगर नि. ईटून्दा, कांता पुत्री रामदेव कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, मेवा पत्नी रामदेव कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, संध्या पुत्री रामदेव कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, सुनील कुमार पुत्र रामदेव कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, गंगाराम पुत्र कल्याण कुम्हार नि. लुहारी, जयराम पुत्र कल्याण कुम्हार नि. लुहारी, मगना पुत्र भागुता कुम्हार नि. लुहारी, माधु पुत्र जगन्नाथ कुम्हार नि. लुहारी, मोडा पुत्र हजारी कुम्हार नि. लुहारी, रतना पुत्र हजारी कुम्हार नि. लुहारी, मगना पुत्र भगुता कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, कस्तूरी पुत्री प्रताप कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, काली पुत्री सुवालाल कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, गुडडी पुत्री शेखर कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, गोगा राम पुत्र मोटा कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, चतरा पुत्र मोटराम कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, धन्नी पुत्री प्रताप कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, प्रह्लाद पुत्र सुवालाल कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, मांगी देवी पुत्री सुवालाल कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, रामराय पुत्र सुवालाल कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, लक्ष्मण पुत्र मोटाराम कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, शांति पुत्री सुवालाल कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, फूली पत्नी छीतरलाल रेगर नि. ईटून्दा, अरविंद पुत्र लक्ष्मण लाल कुम्हार नि. लुहारीखुर्द, तहसीलदार वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम ईटून्दा प. ह. ईटून्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1129/2 रकबा 0.9389 हेक्टेयर, आ. न. 1240 रकबा 1.0036 हेक्टेयर, आ. न. 1240/1 रकबा 0.0162 हेक्टेयर, कुल कित्ता 03 रकबा 1.9587 हेक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक लुहारीकला को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)